दिनांक 24.05.2023
प्रेस विज्ञप्ति 25/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद औरैया/थाना अजीतमल</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का मोबाइल फोन सहित 03 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 इण्डिका कार (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 24.05.2023 को थाना अजीतमल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गढिया ओवरब्रिज के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नफीस उर्फ शंकरा घायल हो गया, जिसे अभियुक्त आसिफ सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट का मोबाइल फोन सहित 03 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 इण्डिका कार (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त नफीस उर्फ शंकरा के विरूद्ध जनपद औरैया के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग एवं अभियुक्त आसिफ के विरूद्ध जनपद औरैया के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त नफीस उर्फ शंकरा थाना कोतवाली औरैया पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 392 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अजीतमल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नफीस उर्फ शंकरा निवासी कुरैशियान कस्बा खानपुर थाना कोतवाली जनपद औरैया।

2—आसिफ निवासी खानपुर थाना कोतवाली जनपद औरैया।

बरामदगी

1—लूट का मोबाइल फोन सहित 03 मोबाइल फोन।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 इण्डिका कार (बिना नम्बर)।

जनपद कुशीनगर/थाना कुबेरस्थान

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 24.05.2023 को थाना कुबेरस्थान पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रविन्द्रनगर चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अब्बू सालिम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अब्बू सालिम निवासी बेली थाना कैण्ट जनपद प्रयागराज, स्थाई पता मकूनपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

जनपद झाँसी/थाना मऊरानीपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 53 हजार 300 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 23/24.05.2023 को थाना मऊरानीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाजपेयी तालाब बन्धे के पास से 03 अभियुक्तों 1–हेमन्त उर्फ हेमू 2–सोनू 3–हरी सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 53 हजार 300 रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया थाना मऊरानीपुर, थाना टोडीफतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मऊरानीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हेमन्त उर्फ हेमू निवासी बिजरवारा थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी।

2–सोनू निवासी बघा नेहरू नगर कस्बा व थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी।

3–हरी सिंह निवासी परवारीपुरा थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी।

बरामदगी

1–लूट के 53 हजार 300 रूपये नगद।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद गोरखपुर/थाना रामगढ़ताल

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 50 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 24.05.2023 को थाना रामगढ़ताल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त आदित्य को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 50 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना रामगढ़ताल क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामगढ़ताल पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रामगढ़ताल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आदित्य निवासी महावीर घाट थाना कोतवाली जनपद बलिया, हालपता न्यू शिवपुरी कालोनी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1—लूट के 50 हजार रूपये नगद।

2—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद उन्नाव/थाना मांखी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये नगद रूपये**
- **03 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 24.05.2023 को थाना मांखी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रूपऊ पुल के पास से 03 अभियुक्तों 1— प्रतीक उर्फ आदित्य 2— संदीप 3— विजय को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये नगद रूपये, 03 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.05.2023 को थाना मांखी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मांखी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मांखी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रतीक उर्फ आदित्य निवासी रूपऊ थाना मांखी जनपद उन्नाव।

2—संदीप निवासी कुम्हारखेड़ा थाना मांखी जनपद उन्नाव।

3—विजय निवासी रूपऊ थाना मांखी जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1—लूटे गये नगद रूपये।

2—03 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—63

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 19 लाख रूपये कीमत के चोरी के 6,160 इयर फोन**
- **01 वेन्यू कार बरामद**

दिनांक 23.05.2023 को थाना सेक्टर—63 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डी पार्क के पास पार्किग से 06 अभियुक्तों 1— दिनेश 2— अमरपाल 3— रजत कुमार

4–सुरेन्द्र 5–रविश कुमार 6–प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 19 लाख रूपये कीमत के चोरी के 6,160 इयर फोन, 01 वेन्यू कार बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना सेक्टर–63 क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर–63 पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद इयर फोन उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–63 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिनेश निवासी गांव शेखपुर गढ़वाल थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर, हालपता छिजारसी थाना सेक्टर 63 गौतमबुद्धनगर।

2–अमरपाल निवासी गांव जरगवाँ थाना रामघाट जिला बुलन्दशहर हालपता छिजारसी कालोनी थाना सेक्टर–63 गौतमबुद्धनगर।

3–रजत कुमार निवासी गाँव जोगी ओंदा थाना हिमपुर दिपा जनपद बिजनौर हालपता राहुल विहार थाना विजय नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

4–सुरेन्द्र निवासी गाँव जीराऊ थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर हालपता छिजारसी थाना सेक्टर–63 गौतमबुद्धनगर।

5–रविश कुमार निवासी सेक्टर–8 रोहिणी थाना सेक्टर–8 दिल्ली, स्थाई पता सेक्टर–13 थाना सेक्टर–13 जनपद करनाल हरियाणा।

6–प्रदीप निवासी अम्बा एन्क्लेव सेक्टर 09 रोहिणी थाना प्रशान्त विहार दिल्ली।

बरामदगी

1–लगभग 19 लाख रूपये कीमत के चोरी के 6,160 इयर फोन।

2–01 वेन्यू कार।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 24.05.2023 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शोरम पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इलियास उर्फ छेदू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त आमिर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त इलियास उर्फ छेदू के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर व हरदोई के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इलियास उर्फ छेदू निवासी आजाद नगर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।

2–आमिर निवासी गडिया पैगम्बरपुर थाना हजरतपुर जनपद बदायूँ।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद उन्नाव/थाना फतेहपुर चौरासी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के घरेलू सामान**
- **चोरी के माल बिक्री के 12 हजार 500 रूपये नगद**
- **लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत के 03 किलो 735 ग्राम अवैध चरस**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 23.05.2023 को थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कल्याणी नदी पुल के पास से अभियुक्त 1–राजा 2–शिवम 3–ज्ञान बाबू को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही से अभियुक्त लालजी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के घरेलू सामान, चोरी के माल बिक्री के 12 हजार 500 रूपये नगद, लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत के 03 किलो 735 ग्राम अवैध चरस, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राजा व शिवम के विरूद्ध जनपद उन्नाव के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11–11 अभियोग एवं अभियुक्त ज्ञान बाबू के विरूद्ध चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर चौरासी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजा निवासी संतखेडा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव।

2–शिवम निवासी संतखेडा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव।

3–ज्ञान बाबू निवासी संतखेडा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव।

4–लालजी निवासी टिकली बाजार कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–चोरी के घरेलू सामान।

2–चोरी के माल बिक्री के 12 हजार 500 रूपये नगद।

3–लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत के 03 किलो 735 ग्राम अवैध चरस।

4–03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

- **जनपद कासगंज (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 60 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद कासगंज पुलिस ने अभियुक्त राज बहादुर यादव उर्फ सुल्लन सिंह पुत्र तुर्रम सिंह निवासी ग्राम दरिगपुर थाना पिलुआ जनपद एटा द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 60 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

- **जनपद श्रावस्ती/थाना मल्हीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना मल्हीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामदुलारे को 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना कोतवाली सदर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को 07–07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/354(बी)/366/394/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–कन्हैया 2–दानिश 3–शानू 4–शीलू कुमार 5–खुशीराम को 07–07 वर्ष के कठोर कारावास व 05–05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना दोघट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या–05 जनपद बागपत द्वारा थाना दोघट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजय कुमार को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————